



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdweep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

स. एन-16/1/Maharashtra/2016-योववि

दिनांक : 28.10.2021

परिपत्र
Circular

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत महाराष्ट्र के अहमदनगर, जालना और यवतमाल जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी।

Sub: Implementation of ESI Act in the entire area of Ahmednagar, Jalna and Yavatmal districts in the State of Maharashtra.

उपरोक्त विषय पर भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) में दिनांक 27.10.2021 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 4476(अ) दिनांक-27.10.2021 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत महाराष्ट्र के अहमदनगर, जालना और यवतमाल जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन दिनांक **01.11.2021** से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 4476 (E) dated 27.10.2021 published in Gazette of India (Extraordinary), Part II-Section 3 - Sub-section (ii) on 27.10.2021 for information

Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in the entire area of **Ahmednagar, Jalna and Yavatmal districts in the State of Maharashtra** shall be effective from **01.11.2021**.

संलग्न - यथोपरि

(प्रियरंजन सिन्हा)

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, महाराष्ट्र को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें।